२८/०१२५ (162)

अभिभाषक

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा म.प्र.

निगरानी 7005-II-15

COURT FEE
20 Rs.
भारत INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

32
11.5.15

प्रमोद नारायण त्रिपाठी तनय श्री स्व. हर्ष नारायण त्रिपाठी उम्र 79 साल पेशा पेन्शनर, एवं कृषि, नि. ग्राम रामपुर बघेलान तह. रामपुर बघेलान जि. सतना म.प्र.

---------- आवेदक/निगरानी कर्ता

व नाम

1/- शासन म.प्र. द्वारा जिलाध्यक्ष जिला सतना म.प्र.

2:- स्टाम्प कलेक्टर सतना जिला सतना म.प्र.

------ गैर निगरानी कर्ता गण

अजय पाण्डेय
द्वारा आज दिनांक 11.5.15
प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 5433
रजिस्टर्ड पोस्ट ... आज
दिनांक ... प्राप्त

राजस्व मण्डल ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला सतना म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक- 23बी 103/014- 2015 में पारित आदेश दिनांक 28. 1. 2015.

निगरानी अन्तर्गत धारा 61 भारतीय स्टाम्प अधिनियम सन् 1899 ईसवी.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न लिखित है:-

1:-यह कि कलेक्टर आफ स्टाम्प कलेक्टर जिला सतना म.प्र. के द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपरोक्त प्रकरण मा. नुजोद ... न्यायालय के आदेशानुसार ... की कार्यवाही हेतु भेजा गया था, तथा मा. नुजो. -

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 7005–दो/15 जिला–सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-8-16	आवेदक अधिवक्ता श्री अनुज पाण्डेय उपस्थित। उनके द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला–सतना के प्र0क्र0 23बी/103/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 28.01.2015 के विरूद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (जिसे आगे संक्षेप में अधिनियम काहा जायेगा) की धारा 61 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है । 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष उक्त प्रकरण माननीय सिविल न्यांयालय के आदेशानुसार इम्माउण्ड की कार्यवाही हेतु भेजा गया था । माननीय न्यायालय के आदेशानुसार विक्रय–पत्र दिनांक 28.04.1963 जो श्री अवधेश प्रताप सिंह द्वारा तनय श्री हर्षनारायण त्रिपाठी के नाम विक्रय–पत्र रुपये 647/– प्राप्त कर निष्पादित किया गया था, उपरोक्त विक्रय पत्र इम्माउण्ड करने हेतु माननीय न्यायालय द्वारा भेजा गया था तथा दस्तावेज निष्पादन दिनांक 28.04.63 के मूल्य के अनुसार निर्धारित दर पर इम्माउण्ड किया जाना था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेज इम्माउण्ड कर शुल्क वर्ष 2010–11 के मूल्य के आधार पर निर्धारित किया है जो विधि के विरूद्ध है । तर्क में यह भी बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्ष 2010–11 इम्माउण्ड करने का आधार मुख्य रूप से यह लिया है कि सम्पत्ति का व्यवहार वाद वर्ष 2010–11 तेक दायर हुआ है, इस	

कारण उपरोक्त वर्ष के आधार पर दस्तावेजों के इम्माउण्ड हेतु शुल्क निर्धारित किया है, जबकि निगरानी कर्ता के पिता श्री हर्ष नारायण त्रिपाठी द्वारा उपरोक्त वाद पत्र दिनांक 01.10.1999 को प्रस्तुत किया । दिनांक 04.10.99 को विधिवत रीडर प्रतिवेदन हेतु प्रकरण नियत किया गया । सिविल न्यायालय सतना में प्रकरण विचाराधीन था । वर्ष 2010–11 में रामपुर बघेलाना में सिविल न्यायालय की स्थापना होने के बाद रामपुर क्षेत्र के प्रकरण सुनवाई व निराकरण हेतु सिविल न्यायाधीश रामपुर बघेलान की अदालत में अन्तरित किये गये । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, सतना द्वारा उपरोक्त बातों पर भी बिना गौर किये आलोच्य आदेश पारित करने की त्रुटि की है । जो कि विधि के विपरीत है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

3/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिसमें मैंने पाया कि माननीय व्यवहार वाद क्रमांक 499ए/10 से संबंधित अपंजीकृत विक्रय टीप दिनांक 28.04.63 को मुद्रांक अधिनिमय की धारा 33 के अन्तर्गत अवरूद्ध कर न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, सतना को मुद्रांक शुल्क एवं शास्ति की राशि वसूली हेतु भेजा गया है । प्रकरण से संबंधित अपंजीकृत दस्तावेज विक्रय टीप का भी अवलोकन किया गया । अवलोकन से पाया गया कि अपंजीकृत विक्रय टीप के द्वारा मौजा–रामपुर बघेलन स्थित आराली भूखण्ड रकबा 5175 व.फि. का विक्रय श्री श्रीलाल अवधेश प्रसाद सिंह, जगदेव रामपुर बघेलान द्वारा श्री हर्षनारायण पिता श्री राजाराम त्रिपाठी सा0 रामपुर बघेलान को सड़क

बरान्हा के पूर्व उत्तर दक्षिण जाती है । उसके पश्चिम जो प्लॉट जगदेव धोबी को दिया गया है, की विक्रय 647.00 में कर कब्जा करने का उल्लेख अपंजीकृत टीप में किया गया है । अपंजीकृत दस्तावेज टीप में विक्रय किये गये भूखण्ड की आराजी सर्वे क्रमांक का उल्लेख नहीं किया गया है । चौहदी में मात्र उत्तर 115 फिट, दक्षिण में 115 फिट, पूर्व में 45 फिट तथा पश्चिम में 45 फिट का उल्लेख है और न ही किसी गवाह के हस्ताक्षर है ।

4/ माननीय व्यवहार न्यायाधीशा वर्ग–2 रामपुरबघेलान द्वारा व्यवहारवाद क्रमांक 499ए/10 से संबंधित अपंजीकृत विक्रय टीप किता–2 जो कि न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण क्रमांक 77/बी–103/2013–14 से दिनांक 19.10.15 को आदेश पारित कर माननीय न्यायालय को पत्र क्रमांक 23/जि.पू./15 दिनांक 22.01.15 को प्रकरण के निराकरण से अवगत कराया जा चुका है । प्रश्नाधीन अपंजीकृत विक्रय टीप भी व्यवहार वाद क्र0 499ए/10 से संबंधित है । तद्नुसार पंजीकृत विक्रय टीप में प्रभावित सम्पत्ति की मुद्रांक शुल्क संगणना शासकीय राजस्व को दृष्टिगत रखते हुये माननीय न्यायालय में दायर व्यवहार बाद वर्ष 2010–11 के आधार पर अपंजीकृत विक्रय टीप में प्रभावित मौजा रामपुर बघेलना स्थित रकबा 515 वि.फि. = 481 व.भी.x 2800 = 1347000.00 पर पक्षकार मुद्रांक शुल्क 95974.00/– साथ ही मुद्रांक अधिनियम की धारा 40 के अन्तर्गत अर्थदण्ड 2000.00/–इस प्रकार कुल 97974.00/– पक्षकार शासकीय कोष में चालान से जमा कर चालान प्रति प्रस्तुत करें, ताकि प्रकरण से संबंधित अपंजीकृत टीप मुद्रांकित मान्य की जा सके ।

5/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के

द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.04.2015 स्थिर रखा जाता है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य